

# कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक : 01 / स्था / 2025

दिनांक : 02.01.2025

## :: आदेश ::


माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/क.न्या.स. एवं लिपिक ग्रेड-11/2022/2248 दिनांक 05.08.2022, राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र G/IA-4(i)(a)88/22/1258 दिनांक 20/12/2024 एवं राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम, 1986 (यथा संशोधित नियम) एवं इस संबंध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन दो वर्ष के परीवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिये राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह/दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ.15(1)एफ.डी.(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 14600/- रुपये मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक पर नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

### लिपिक ग्रेड-द्वितीय

S. No.	Roll No.	Name of Candidate	Date of Birth	Original Category	Gender
1	161574	TANU SHARMA	04-08-2000	GEN	F
2	173916	RAMESH KUMAR	01-07-1992	OBC	M
3	166979	SANDHYA KANWAR	24-06-2002	EWS	F
4	166252	NARENDRA KUMAR DHOBI	10-01-1990	SC	M
5	167327	DINESH KUMAR	04-05-1994	MBC	M
6	168238	RAVINDRA MEENA	23-07-1990	ST	M
7	172676	MS. VERSHA MEENA	03-11-1997	ST	F

- सभी नियुक्तियों कनिष्ठ न्यायिक सहायक/कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड द्वितीय की संयुक्त परीक्षा 2022 के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिकाओं एवं विधिक कार्यवाही के निर्णयाधीन रहेगी।
- प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परीवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढ़ाया जावेगा। पूरे परीवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे-मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
- अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों के संबंधित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थाई नियुक्ति दी गई है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई गई तो बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई सूचनायें या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। इस हेतु वांछित सूचनाएं संलग्न निर्धारित प्रारूप में नियमानुसार मय आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित उपस्थिति के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।
- अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के संबंध में राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होंगे।
- राज्य सरकार या माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।

8. इस आदेश की प्राप्ति के 07 कार्य दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी।
9. नवनियुक्त अभ्यर्थीगण पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।
10. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. उपस्थिति के समय आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त सत्यापित दस्तावेज यथा जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता से संबंधित अंक तालिका/प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र एवं अन्य कोई दस्तावेजात जो प्रार्थी द्वारा पेश किये गये हैं आदि के मूल दस्तावेज मिलान हेतु तथा उक्त सभी दस्तावेजों की एक सत्यापित प्रति कार्यालय उपयोग हेतु आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।


  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
भीलवाड़ा

क्रमांक : स्था/नि./02/25/. . . 1.2

दिनांक : 2/1/25

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संबंधित न्यायालय.....
2. प्रभारी अधिकारी लेखानुभाग जिला न्यायालय भीलवाड़ा/लेखानुभाग संबंधित न्यायालय
3. व्यक्तिगत पत्रावली संबंधित अभ्यर्थी मार्फत संबंधित न्यायालय
4. संबंधित अभ्यर्थी तनु शर्मा पुत्री मुकेश कुमार शर्मा, निवासी बालिका सैनी आदर्श विद्या मंदिर के सामने प्लॉट नं. 49 बांदीकुई जागीर रूरल, जिला दौसा -303313 मोबाईल नं. 9982401330 ईमेल tanu3130@gmail.com जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. डाक
5. संबंधित अभ्यर्थी रमेश कुमार पुत्र शिवजीराम निवासी गांव कुशलावा तहसील लोहावट, फलोदी जिला जोधपुर-342314 मोबाईल नं. 8769275330 rameshchoudhary575@gmail.com जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. डाक
6. संबंधित अभ्यर्थी संध्या कंवर पुत्री किशन सिंह निवासी गली नं. 01 वार्ड नं. 1 देव नगर, जिला श्रीगंगानगर -334001 मोबाईल नं. 7733833636 ईमेल sandhyarathore0134@gmail.com जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. डाक
7. संबंधित अभ्यर्थी नरेन्द्र कुमार धोबी पुत्र बंशीलाल धोबी, निवासी 82 मोहन कॉलोनी, रामनगर विस्तार, स्वेज फार्म सोडाला, जयपुर, श्यामनगर जयपुर -302019 मोबाईल नं. 7737468301 ईमेल narendrakhadiya@gmail.com जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. डाक
8. संबंधित अभ्यर्थी दिनेश कुमार पुत्र वसना राम निवासी फालना, तहसील सांचोर जिला जालौर -343041 मोबाईल नं. 9967229553 ईमेल rebaridinesh379@gmail.com जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. डाक
9. संबंधित अभ्यर्थी रविन्द्र मीना पुत्र बाबुलाल मीना निवासी गांव सहजनपुर पो भोपुर, तहसील टोडा भिम, सहजनपुर, करोली -322230 मोबाईल नं 9462810696 meena.ravindra90@gmail.com जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. डाक
10. संबंधित अभ्यर्थी वर्षा मीना पुत्री राधे श्याम मीना, निवासी अजनोटी मधुवन कॉलोनी खेरदा, जिला सवाई माधोपुर -322027 मोबाईल नं. 9983406961 ईमेल vershameena5@gmail.com जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. डाक
11. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय भीलवाड़ा को प्रति जिला न्यायालय, भीलवाड़ा की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित अभ्यर्थी की ईमेल आईडी तथा वाट्सएप नम्बर पर प्रेषित करने हेतु।
12. स्थापनानुभाग, जिला न्यायालय, भीलवाड़ा

  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
भीलवाड़ा